न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17/2021	01/03/2021	06/11/2024

भैरूलाल पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2– द्वारक्याबाई पुत्री नाथूलाल पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
3– रामेश्वर पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी डोली मृतक कायम मुकाम वारिसान 3/1– कालूलाल पुत्र रामेश्वर मीणा
3/2– गिरिराज पुत्र रामेश्वर मीणा
3/3– फोरन्तीबाई पुत्री रामेश्वर मीणा
3/4– मन्नीबाई पत्नी रामेश्वर मीणा जातियान मीणा निवासीगण डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

<u>दावा अर्न्तगत धारा 88,89 बाबत दुरुस्त किये जाने नाम</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की माता रघुनाथी बाई के खाते मे ग्राम डोली मे खाता संख्या 118 मे ख.न. 809 रकबा 2.29 है. दर्ज थी वादी की माता की मृत्यु होने पर जरिये फोती इंतकाल, इंतकाल नम्बर 138 दिनांक 27.11.2001 से उसके स्थान पर वादी तथा उसके भाई रामेश्वर व वादी की बहिन द्वारक्याबाई, प्रतिवादी कम 2 का नाम दर्ज हुआ वादी के भाई रामेश्वर की मृत्यु के बाद उसके कायम मुकाम प्रतिवादी कम 3/1 ता 3/4 का नाम दर्ज हुआ फोती इंतकाल खोलते समय वादी का नाम भैरूलाल के स्थान पर भँवरलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम भँवरलाल नही है भैरूलाल है वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड वोटर पहचानपत्र भामाशाह कार्ड भी भैरूलाल के नाम से ही है आगे वाद पत्र मे वर्णित आराजी को सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त आराजी कहा गया है जमाबंदी सलग्न है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न है।

रघुनाथी पत्नी नाथूलाल

भैरूलाल पुत्र — रामेश्वर(मृतक पुत्र) — द्वारक्याबाई पुत्री

रामेश्वर(मृतक पुत्र): कालूलाल(पुत्र) — गिरिराज(पुत्र) — फोरन्तीबाई(पुत्री) — मन्नीबाई(पत्नी)

यह कि विवादग्रस्त भूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त शामलाती भूमि वाके माल डोली में स्थित है जिसका खाता संख्या 112 है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जमाबंदी सलग्न है जिसके वादी का नाम भैरूलाल दर्ज है। यह कि इंतकाल नम्बर 138 दिनांक 27.11.2001 मे वादी का नाम गलत दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार वादी को प्राप्त है उक्त गलत नाम जो इंतकाल खोलते समय वादी का नाम दर्ज किया गया है उसकी जानकारी वादी को नही थी, वादी काफी बुजुर्ग है तथा उसकी समस्त काश्त का कार्य उसके पुत्रान करते है इसलिये उक्त गलत दर्ज नाम की कोई जानकारी नही मिली दिनांक 18.2.2021 को इंतकाल की नकल लेने पर जानकारी हुई कि वादी की मां का फोती इंतकाल खोलते समय वादी का नाम गलत भँवरलाल दर्ज कर दिया उसके दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार वादी को प्राप्त है प्रतिवादी को ऐसा कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है कि वह वादी का गलत नाम विरासत के रूप में दर्ज करे । यह कि वादी को कृषि ऋण लेने, सरकारी ऋण लेने, व अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी होगी अशुद्ध नाम से वादी के उक्त तमाम कार्य प्रभावित हो रहे है इसलिये वादी के लिये विवादग्रस्त आराजी मे अपना नाम भंवरलाल के स्थान पर भैरूलाल दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी कम 1 ता 2 सहखातेदार है इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है फोरमल पक्षकार है वादी के वाद से उनके कोई हित प्रभावित नही हो रहे है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित ग्राम डोली की आराजी ख.न. 809 रकबा 2.29 है. पर वादी का नाम भँवरलाल के स्थान पर भैरूलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करे तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इसका अमल दरामद किया जावे ।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने वाद प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 2 व 3/1 ता 3/4 की ओर से श्री धर्मेन्द्र शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है। दिनांक 22.10. 2024 को वकील प्रतिवादी ने दावा वादी स्वीकार किया कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा– राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में वादी का भैरूलाल ही दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर भंवरलाल के स्थान पर भैरूलाल करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम डोली की आराजी ख.न. 809 रकबा 2.29 है. पर वादी का नाम भँवरलाल के स्थान पर भैरूलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 1 को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 06/11/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि.
इटावा जिला कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आइ.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17/2021	01/03/2021	06/11/2024

भैरूलाल पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2– द्वारक्याबाई पुत्री नाथूलाल पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी डडवाडा

3– रामेश्वर पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी डोली मृतक कायम मुकाम वारिसान 3/1– कालूलाल पुत्र रामेश्वर मीणा

3/2– गिरिराज पुत्र रामेश्वर मीणा

3/3– फोरन्तीबाई पुत्री रामेश्वर मीणा

3/4– मन्नीबाई पत्नी रामेश्वर मीणा जातियान मीणा निवासीगण डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89 बाबत दुरुस्त किये जानें नाम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी स्वीकार किया जाकर** वाके ग्राम डोली की आराजी ख.न. 809 रकबा 2.29 है. पर वादी का नाम भँवरलाल के स्थान पर भैरूलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 1 को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 06/11/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा